सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

कार्य परिषद् की बैठक

दिनांक - 05.03.2021
समय अपराह्ण - 1:00 बजे से
स्थान - योग साधना केन्द्र

उपस्थिति

1- प्रो. राजाराम शुक्ल, कुलपति- अध्यक्ष

2-	प्रो. रमेश प्रसाद	**3-**	प्रो. जितेन्द्र कुमार
4-	प्रो. राजनाथ	**5-**	प्रो. हरिप्रसाद अधिकारी
6-	डा. दिनेश कुमार गर्ग	**7-**	डा. शरद कुमार नागर
8-	डा. विद्या कुमारी चन्द्रा	**9-**	वित्ताधिकारी
10-	कुलसचिव - सचिव		

मंगलाचरण

प्रो. हरिप्रसाद अधिकारी एवं डा. दिनेश कुमार गर्ग

सर्वप्रथम कुलपति महोदय ने सभी सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए कार्यपरिषद् की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या-1- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.01.2021 एवं 28.02.2021 की कार्यवाही की पुष्टि।

विचार-विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.01.2021 एवं 28.02.2021 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की।

कार्यक्रम संख्या-2- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.01.2021 एवं 28.02.2021 में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन की सूचना।

कार्यपरिषद् क्रियावंयन रिपोर्ट से अवगत होते हुए कृत कार्यवाही पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या-3- कुलपति की नियुक्ति के सन्दर्भ में उत्तर-प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-12 की उपधारा (1) के अर्न्तगत गठित होने वाली समिति में धारा-12(2)(क) के अन्तर्गत एक सदस्य के निर्वाचन पर विचार।

सचिव ने कार्यपरिषद् को अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-12 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित होने वाली समिति में धारा 12(2)(क) के अंतर्गत कुलपति खोज समिति हेतु विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् द्वारा एक सदस्य निर्वाचित होना है।

उपर्युक्त पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 12(2)(क) में दी गयी व्यवस्था के अंतर्गत *प्रो. वैम्पटी कुटुम्ब शास्त्री,* *(पूर्व कुलपति सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी)* *इंफोसिस फाउण्डेशन चेयर, भण्डारकर ओरिऐण्टेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ला कालेज रोड़, शिवाजी नगर, पुणे-411004* को कुलपति खोज समिति का सदस्य निर्वाचित किया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार-

1- विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सेवा सम्पुष्टि पर विचार-

प्रकरण पर विचार के क्रम में परिषद् के मा॰सदस्य डा॰ शरद कुमार नागर बैठक कक्ष से उठकर बाहर चले गये।

I- कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय आदेश सं॰ 256/2020, दिनांक 28.02.2020 के द्वारा डा॰ शरद कुमार नागर, का असिस्टेंट प्रोफेसर-ऋग्वेद (अनारक्षित) पद पर नियुक्ति की गयी। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में योजित स्पेशल याचिका सं॰ 195/2020 में पारित अन्तिम आदेश के अधीन है। डा॰ नागर ने उक्त पद पर दिनांक 28.02.2020 अपराह्ण को कार्यभार ग्रहण कर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि दिनांक 28.02.2021 पूर्ण कर लिया है। डा॰ नागर के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष द्वारा गोपनीय आख्या प्राप्त हो गयी। डा॰ नागर की सेवा सम्पुष्टि का प्रकरण परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है-

उपरोक्त पर गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् कार्यपरिषद् ने में डा. शरद कुमार नागर की असिस्टेंट प्रोफेसर- ऋग्वेद (अनारक्षित) के पद पर परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक होने के कारण दिनांक 01.03.2021 से सेवा सम्पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय में योजित स्पेशल याचिका सं. 195/2020 में पारित अन्तिम आदेश के अधीन करने की स्वीकृति प्रदान की।

II- कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय आदेश सं॰ 254/2020, दिनांक 28.02.2020 के द्वारा डा॰ विजय कुमार शर्मा, का असिस्टेंट प्रोफेसर-सामवेद (अनारक्षित) पद पर नियुक्ति की गयी। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में योजित स्पेशल याचिका सं॰ 195/2020 में पारित अन्तिम आदेश के अधीन है। डा॰ शर्मा ने उक्त पद पर दिनांक 28.02.2020 अपराह्ण को कार्यभार ग्रहण कर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि दिनांक 28.02.2021 पूर्ण कर लिया है। डा॰ शर्मा के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष द्वारा गोपनीय आख्या प्राप्त हो गयी। डा शर्मा की सेवा सम्पुष्टि का प्रकरण परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है-

उपरोक्त पर गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् कार्यपरिषद् ने में डा. विजय कुमार शर्मा की असिस्टेंट प्रोफेसर-सामवेद (अनारक्षित) के पद पर परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक होने के कारण दिनांक 01.03.2021 से सेवा सम्पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय में योजित स्पेशल याचिका सं. 195/2020 में पारित अन्तिम आदेश के अधीन करने की स्वीकृति प्रदान की।

III- कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय आदेश सं॰ 255/2020, दिनांक 28.02.2020 के द्वारा डा॰ सत्येन्द्र कुमार यादव, का असिस्टेंट प्रोफेसर-अथर्ववेद (अ॰पि॰व॰) पद पर नियुक्ति की गयी। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में योजित स्पेशल याचिका सं॰ 195/2020 में पारित अन्तिम आदेश के अधीन है। डा॰ यादव ने उक्त पद पर दिनांक 28.02.2020 अपराह्ण को कार्यभार ग्रहण कर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि दिनांक 28.02.2021 पूर्ण कर लिया है। डा॰ यादव के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष

द्वारा गोपनीय आख्या प्राप्त हो गयी। डा॰ यादव की सेवा सम्पुष्टि का प्रकरण परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है-

उपरोक्त पर गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् कार्यपरिषद् ने में डा. सत्येन्द्र कुमार यादव की असिस्टेंट प्रोफेसर- अथर्ववेद (अ.पि.व.) के पद पर परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक होने के कारण दिनांक 01.03.2021 से सेवा सम्पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय में योजित स्पेशल याचिका सं. 195/2020 में पारित अन्तिम आदेश के अधीन करने की स्वीकृति प्रदान की।

IV- कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय आदेश सं॰ 261/2020, दिनांक 28.02.2020 के द्वारा डा॰ कुञ्जबिहारी द्विवेदी, का असिस्टेंट प्रोफेसर-न्याय वैशेषिक (अनारक्षित) पद पर नियुक्ति की गयी। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में योजित स्पेशल याचिका सं॰ 195/2020 में पारित अन्तिम आदेश के अधीन है। डा॰ द्विवेदी ने उक्त पद पर दिनांक 29.02.2020 पूर्वाह्ण को कार्यभार ग्रहण कर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि दिनांक 28.02.2021 पूर्ण कर लिया है। डा॰ द्विवेदी के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष द्वारा गोपनीय आख्या प्राप्त हो गयी। डा॰ द्विवेदी की सेवा सम्पुष्टि का प्रकरण परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है-

उपरोक्त पर गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् कार्यपरिषद् ने में डा. कुञ्जबिहारी द्विवेदी की असिस्टेंट प्रोफेसर- न्याय वैशेषिक (अनारक्षित) के पद पर परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक होने के कारण दिनांक 01.03.2021 से सेवा सम्पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय में योजित स्पेशल याचिका सं. 195/2020 में पारित अन्तिम आदेश के अधीन करने की स्वीकृति प्रदान की।

V- कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय आदेश सं॰ 260/2020, दिनांक 28.02.2020 के द्वारा डा॰ दुर्गेश पाठक, का असिस्टेंट प्रोफेसर-न्याय वैशेषिक (अनारक्षित) पद पर नियुक्ति की गयी। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में योजित स्पेशल याचिका सं॰ 195/2020 में पारित अन्तिम आदेश के अधीन है। डा॰ पाठक ने उक्त पद पर दिनांक 28.02.2020 अपराह्ण को कार्यभार ग्रहण कर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि दिनांक 28.02.2021 पूर्ण कर लिया है। डा॰ पाठक के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष द्वारा गोपनीय आख्या प्राप्त हो गयी। डा॰ पाठक की सेवा सम्पुष्टि का प्रकरण परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है-

उपरोक्त पर गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् कार्यपरिषद् ने में डा. दुर्गेश पाठक की असिस्टेंट प्रोफेसर- न्याय वैशेषिक (अनारक्षित) के पद पर परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक होने के कारण दिनांक 01.03.2021 से सेवा सम्पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय में योजित स्पेशल याचिका सं. 195/2020 में पारित अन्तिम आदेश के अधीन करने की स्वीकृति प्रदान की।

VI- कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय आदेश सं॰ 248/2020, दिनांक 28.02.2020 के द्वारा डा॰ विजेन्द्र कुमार आर्य, का असिस्टेंट प्रोफेसर- नव्य व्याकरण (अ॰पि॰व॰) पद पर नियुक्ति की गयी। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में योजित स्पेशल याचिका सं॰ 195/2020 में पारित अन्तिम आदेश के अधीन है। डा॰ आर्य ने उक्त पद पर दिनांक 29.02.2020 पूर्वाह्ण को कार्यभार ग्रहण कर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि दिनांक 28.02.2021 पूर्ण कर लिया है। डा॰ आर्य के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष द्वारा गोपनीय आख्या प्राप्त हो गयी। डा॰ आर्य की सेवा सम्पुष्टि का प्रकरण परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है-

उपरोक्त पर गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् कार्यपरिषद् ने में डा. विजेन्द्र कुमार आर्य की असिस्टेंट प्रोफेसर- नव्य व्याकरण (अ.पि.व.) के पद पर परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक होने के कारण दिनांक 01.03.2021 से सेवा सम्पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय में योजित स्पेशल याचिका सं. 195/2020 में पारित अन्तिम आदेश के अधीन करने की स्वीकृति प्रदान की।

VII- कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय आदेश सं॰ 251/2020, दिनांक 28.02.2020 के द्वारा डा॰ ज्ञानेन्द्र सापकोटा, का असिस्टेंट प्रोफेसर-नव्य व्याकरण (अनारक्षित) पद पर नियुक्ति की गयी। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में योजित स्पेशल याचिका सं॰ 195/2020 में पारित अन्तिम आदेश के अधीन है। डा॰ सापकोटा ने उक्त पद पर दिनांक 28.02.2020 अपराह्ण को कार्यभार ग्रहण कर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि दिनांक 28.02.2021 पूर्ण कर लिया है। डा॰ सापकोटा के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष द्वारा गोपनीय आख्या प्राप्त हो गयी। डा॰ सापकोटा की सेवा सम्पुष्टि का प्रकरण परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है-

उपरोक्त पर गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् कार्यपरिषद् ने में डा. ज्ञानेन्द्र सापकोटा की असिस्टेंट प्रोफेसर- नव्य व्याकरण (अनारक्षित) के पद पर परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक होने के कारण दिनांक 01.03.2021 से सेवा सम्पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय में योजित स्पेशल याचिका सं. 195/2020 में पारित अन्तिम आदेश के अधीन करने की स्वीकृति प्रदान की।

VIII- कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय आदेश सं॰ 250/2020, दिनांक 28.02.2020 के द्वारा डा॰ दिव्यचेतन ब्रह्मचारी, का असिस्टेंट प्रोफेसर - नव्य व्याकरण (अनारक्षित) पद पर नियुक्ति की गयी। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में योजित स्पेशल याचिका सं॰ 195/2020 में पारित अन्तिम आदेश के अधीन है। डा॰ ब्रह्मचारी ने उक्त पद पर दिनांक 28.02.2020 अपराह्ण को कार्यभार ग्रहण कर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि दिनांक 28.02.2021 पूर्ण कर लिया है। डा॰ ब्रह्मचारी के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष द्वारा गोपनीय आख्या प्राप्त हो गयी। डा ब्रह्मचारी की सेवा सम्पुष्टि का प्रकरण परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है-

उपरोक्त पर गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् कार्यपरिषद् ने में डा. दिव्यचेतन ब्रह्मचारी की असिस्टेंट प्रोफेसर- नव्य व्याकरण (अनारक्षित) के पद पर परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक होने के कारण दिनांक 01.03.2021 से सेवा सम्पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय में योजित स्पेशल याचिका सं. 195/2020 में पारित अन्तिम आदेश के अधीन करने की स्वीकृति प्रदान की।

IX- कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय आदेश सं॰ 247/2020, दिनांक 28.02.2020 के द्वारा डा॰ कुप्पा श्रीगुरू विल्वेश, का असिस्टेंट प्रोफेसर-प्राचीन व्याकरण (अनारक्षित) पद पर नियुक्ति की गयी। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में योजित स्पेशल याचिका सं॰ 195/2020 में पारित अन्तिम आदेश के अधीन है। डा॰ विल्वेश ने उक्त पद पर दिनांक 29.02.2020 पूर्वाह्ण को कार्यभार ग्रहण कर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि दिनांक 28.02.2021 पूर्ण कर लिया है। डा॰ विल्वेश के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष द्वारा गोपनीय आख्या प्राप्त हो गयी। डा॰ विल्वेश की सेवा सम्पुष्टि का प्रकरण परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है-

उपरोक्त पर गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् कार्यपरिषद् ने में डा. कुप्पा श्रीगुरु विल्वेश की असिस्टेंट प्रोफेसर- प्राचीन व्याकरण (अनारक्षित) के पद पर परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक होने के कारण दिनांक 01.03.2021 से सेवा

सम्पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय में योजित स्पेशल याचिका सं. 195/2020 में पारित अन्तिम आदेश के अधीन करने की स्वीकृति प्रदान की।

X- कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय आदेश सं॰ 253/2020, दिनांक 28.02.2020 के द्वारा श्री नितिन आर्य, का असिस्टेंट प्रोफेसर-प्राचनी व्याकरण (अ॰पि॰व॰) पद पर नियुक्ति की गयी। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में योजित स्पेशल याचिका सं॰ 195/2020 में पारित अन्तिम आदेश के अधीन है। श्री आर्य ने उक्त पद पर दिनांक 29.02.2020 पूर्वाह्ण को कार्यभार ग्रहण कर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि दिनांक 28.02.2021 पूर्ण कर लिया है। श्री आर्य के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष द्वारा गोपनीय आख्या प्राप्त हो गयी। श्री आर्य की सेवा सम्पुष्टि का प्रकरण परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है-

उपरोक्त पर गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् कार्यपरिषद् ने में श्री नितिन आर्य की असिस्टेंट प्रोफेसर- प्राचीन व्याकरण (अ.पि.व.) के पद पर परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक होने के कारण दिनांक 01.03.2021 से सेवा सम्पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय में योजित स्पेशल याचिका सं. 195/2020 में पारित अन्तिम आदेश के अधीन करने की स्वीकृति प्रदान की।

XI- कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय आदेश सं॰ 258/2020, दिनांक 28.02.2020 के द्वारा डा॰ राजा पाठक, का असिस्टेंट प्रोफेसर-ज्योतिष (अनारक्षित) पद पर नियुक्ति की गयी। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में योजित स्पेशल याचिका सं॰ 195/2020 में पारित अन्तिम आदेश के अधीन है। डा॰ पाठक ने उक्त पद पर दिनांक 28.02.2020 अपराह्ण को कार्यभार ग्रहण कर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि दिनांक 28.02.2021 पूर्ण कर लिया है। डा॰ पाठक के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष द्वारा गोपनीय आख्या प्राप्त हो गयी। डा॰ पाठक की सेवा सम्पुष्टि का प्रकरण परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है-

उपरोक्त पर गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् कार्यपरिषद् ने में डा. राजा पाठक की असिस्टेंट प्रोफेसर- ज्योतिष (अनारक्षित) के पद पर परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक होने के कारण दिनांक 01.03.2021 से सेवा सम्पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय में योजित स्पेशल याचिका सं. 195/2020 में पारित अन्तिम आदेश के अधीन करने की स्वीकृति प्रदान की।

XII- कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय आदेश सं॰ 257/2020, दिनांक 28.02.2020 के द्वारा डा॰ मधुसूदन मिश्र, का असिस्टेंट प्रोफेसर-ज्योतिष फलित (अनारक्षित) पद पर नियुक्ति की गयी। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में योजित स्पेशल याचिका सं॰ 195/2020 में पारित अन्तिम आदेश के अधीन है। डा॰ मिश्र ने उक्त पद पर दिनांक 28.02.2020 अपराह्ण को कार्यभार ग्रहण कर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि दिनांक 28.02.2021 पूर्ण कर लिया है। डा॰ मिश्र के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष द्वारा गोपनीय आख्या प्राप्त हो गयी। डा॰ मिश्र की सेवा सम्पुष्टि का प्रकरण परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है-

उपरोक्त पर गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् कार्यपरिषद् ने में डा. मधुसूदन मिश्र की असिस्टेंट प्रोफेसर- ज्योतिष फलित (अनारक्षित) के पद पर परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक होने के कारण दिनांक 01.03.2021 से सेवा सम्पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय में योजित स्पेशल याचिका सं. 195/2020 में पारित अन्तिम आदेश के अधीन करने की स्वीकृति प्रदान की।

2- मान्यता/सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 22.02.2021 की संस्तुतियों पर विचार।

कार्य परिषद् के समक्ष मान्यता/सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 22.02.2021 की अधोलिखित संस्तुतिया प्रस्तुत की गयी-

सम्बद्धता समिति/मान्यता समिति

दिनांक 22-02-2021
समय-अपराह्ण 01:00 बजे
स्थान- कुलपति कार्यालय

1-	**प्रो॰ राजाराम शुक्ल, कुलपति**	**अध्यक्ष**
2-	**प्रो॰ रामपूजन पाण्डेय**	**सदस्य**
3-	**शिक्षा निदेशक या उनके प्रतिनिधि**	**सदस्य**
4-	**निदेशक उच्चत्तर शिक्षा या उनके प्रतिनिधि**	**सदस्य**
5-	**कुलसचिव**	**सचिव, सदय**

सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 22-02-2021 में विचारार्थ प्रस्तुत होने वाले महाविद्यालय।

1-स्वामी शिवेन्द्रपुरी संस्कृत महाविद्यालय, बेलौना कला, बरसठी, जौनपुर। (4 वर्षीय बी॰एल॰एड॰)

प्रबन्धक, स्वामी शिवेन्द्रपुरी संस्कृत महाविद्यालय, बेलौना कला, बरसठी, जौनपुर द्वारा 4 वर्षीय बी॰एल॰एड॰ पाठ्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए दिनांक 10-03-2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 19-10-2017 को महाविद्यालय में ''उपलब्ध भूमि व भवन मानकानुसार शास्त्री पाठ्यक्रम हेतु एवं अतिरिक्त भूमि एवं भवन प्रस्तावित **बी॰एल॰एड॰** पाठ्यक्रम हेतु आवंटित करने का प्रस्ताव पारित किया है। उक्त स्थिति में एन॰सी॰टी॰ई॰ से **बी॰एल॰एड॰** कोर्स महाविद्यालय परिसर में संचालित करने पर विश्वविद्यालय को कोई आपत्ति नही है, के उपरान्त सम्बद्धता हेतु दिनांक 11-05-20018 को अध्यापक शिक्षा परिषद् का मान्यता पत्र दिनांक 03-03-2018 के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। साथ ही नियमानुसार अध्यापक अनुमोदन कुलपति से प्राप्त किया गया।'' उक्त के परिप्रेक्ष्य में अध्यक्ष शिक्षाशास्त्र विभाग द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि **बी॰एल॰एड॰** पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा तैयार कर लिया गया है तथा सम्बन्धित परिनियमगत निकायों अध्ययन बोर्ड संकाय बोर्ड विद्यापरिषद् आदि से उसकी स्वीकृति प्राप्त है नहीं है तो एन॰ओ॰सी॰ किस अधार पर किस नियम से की गयी है। उक्त आपत्ति पर कुलपति महोदय द्वारा तीन सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया गया। जाँच समिति की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 08-10-2020 में प्रस्तुत किया गया। विद्यापरिषद् द्वारा संस्तुति के उपरान्त कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 09-10-2020 में कार्यक्रम सं॰03 पर प्रकरण प्रस्तुत किया गया। कार्यपरिषद् का निर्णय निम्नवत् हैः-

1-विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप बी॰एल॰एड॰(B.El.Ed.) पाठ्क्रम बनाकर सम्बद्ध महाविद्यालयों में इस पाठ्यक्रम को चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान की।

2-पाठ्यक्रम शिक्षाशास्त्र विभाग एवं आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय के अन्तर्गत संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की।

3-शिक्षाशास्त्र विभाग द्वारा पाठ्यक्रम एवं अध्याधेश तैयार कर निमयानुसार संकाय बोर्ड की संस्तुति प्राप्त करते हुए विद्यापरिषद् से संस्तुति प्राप्त कर कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत की जाय।

4-स्वामी शिवेन्द्र पुरी संस्कृत महाविद्यालय जौनपुर, बरसठी, जौनपुर का बैचलर ऑफ एलीमेन्ट्री एजुकेशन ((B.El.Ed.) पाठ्यक्रम की मान्यता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व प्रदत्त अनापत्ति में दी गयी शर्त कि- महाविद्यालय भूमि एवं भवन मानकानुसार शास्त्री पाठ्यक्रम हेतु एवं अतिरिक्त भूमि एवं भवन प्रस्तावित बी॰एल॰डी॰ पाठ्यक्रम हेतु आवंटित होगा, कि जाँच एवं एन॰सी॰टी॰ई॰ से मानक के अनुसार अन्य संसाधनों की भौतिक जाँच हेतु एक निरीक्षण मण्डल भेजा जाय और यदि वे एन॰सी॰टी॰ई॰ एवं विश्वविद्यालय के शर्तो को पूर्ण करते है तो उन्हे मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही की जाय। साथ ही परिषद् ने यह भी निर्देश दिया कि विद्यापरिषद् की संस्तुति के अनुसार पाठ्यक्रम आदि का अभी निर्माण होना है, ऐसी स्थिति में सत्र 2020-21 से पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु किसी भी संस्था को मान्यता प्रदान न की जाय।

कार्यपरिषद् के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 12-11-2020 को प्रो॰ आशुतोष मिश्र, प्रो॰ राजनाथ, श्री विजय कुमार मणि त्रिपाठी एवं डॉ॰ रमेशधर द्विवेदी का निरीक्षण मण्डल गठित किया गया। जिसका पत्र दिनांक 12-11-2020 को प्रेषित किया गया। निरीक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 16-12-2020 को स्थलीय निरीक्षण किया। महाविद्यालय के नाम कुल भूमि 0.5754 हेक्टेयर(61935 वर्गफुट) है। पैनल ने महाविद्यालय द्वारा पूर्व में संचालित शास्त्री पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध भूमि-भवन से अतिरिक्त भूमि पर बी॰एल॰एड॰ पाठ्यक्रम हेतु निर्मित भवनों एवं सुसंगत कारकों का निरीक्षण किया। बी॰एल॰एड॰ पाठ्यक्रम के लिए अलग से 05 कक्ष 50 छात्रों के लिए, (क)- पाठ्यचर्या प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, संसाधन केन्द्र, कार्यशालाओं के लिए स्थान, कम्प्यूटर रूम, पुस्तकालय, (ख)- (प्रशासनिक क्षेत्र में), प्रिंसिपल का कमरा, संकाय के कमरें, केन्दीय कार्यालय, सम्मेलन कक्ष, रिकार्ड रूम, कम्प्यूटर रूम, स्वागत कक्ष, (ग)- (सुविधा क्षेत्र में) विद्यार्थियों का सांझा कमरा, स्टाप के लिए कमरा, हॉल, खेलकूद/मनोरंजन केन्द्र, कैन्टीन, सहकारी स्टोर, डिस्पेन्सरी, सुरक्षा सेवाएं, शौचालय पुरूष और महिला विद्यार्थियों और संकाय के सदस्यों के लिए अलग-अलग उपलब्ध है।

तथा सम्बद्धता/मान्यता की अन्य मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को **(4 वर्षीय बी॰एल॰एड॰)** पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति करती है।

2-नानक जी संस्कृत महाविद्यालय, सौसारपट्टी, कोलौरा, मऊ।

प्रबन्धक, नानक जी संस्कृत महाविद्यालय, सौसारपट्टी, कोलौरा, मऊ द्वारा दिनांक 05-09-2019 को विश्वविद्यालय में शास्त्री स्तर पर साहित्य व्याकरण व 'ख' वर्ग गृहविज्ञान की सम्बद्धता/मान्यता हेतु आवेदन किया गया। जिस पर उप शिक्षा निदेशक(संस्कृत) की संस्तुति पत्र दिनांक 11-09-2019 के आधार पर शास्त्री पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुसंशा की। आवेदन पत्र के साथ संलग्न पत्राजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शुल्क रू॰25,000/-(पच्चीस हजार मात्र) भूमि रजिस्टर्ड दान पत्र 0.1875 हे॰(20182.33 वर्गफुट), भवन 12 कक्ष आय के सम्बन्ध में बैंक पासबुक, पुस्तकालय आदि विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया। महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 09-07-2020 को प्रो॰ हरिशंकर पाण्डेय एवं श्री केशलाल, सहायक कुलसचिव का निरीक्षक मण्डल गठित किया गया। जिसका पत्र दिनांक 23-11-2020 को निरीक्षण मण्डल का गठन हेतु प्रेषित किया गया। निरीक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 19-12-2020 को महाविद्यालय निरीक्षण किया गया तथा यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 0.1875 हेक्टेयर(20182.33 वर्गफुट), 8 कक्ष 20×25 वर्गफुट, 1 विज्ञान कक्ष, प्राचार्य कक्ष, 1 कार्यालय, 1 पुस्तकालय कक्ष एवं क्रीडा स्थल है। निरीक्षण मण्डल द्वारा शास्त्री साहित्य, व्याकरण एवं 'ख' वर्ग गृहविज्ञान की संस्तुति किया गया है। सम्बद्धता/मान्यता की अन्य शर्ते मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति विचार विमर्श के अनन्तर महाविद्यालय को **शास्त्री साहित्य, व्याकरण व 'ख' वर्ग गृहविज्ञान** विषय की सम्बद्धता/मान्यता की संस्तुति प्रदान करती है।

3-बाबा शोभा मणि संस्कृत महाविद्यालय चेरो बरठी, देवरिया।

प्रबन्धक, बाबा शोभा मणि संस्कृत महाविद्यालय चेरो बरठी, देवरिया द्वारा दिनांक 18-01-2020 को विश्वविद्यालय में शास्त्री स्तर पर साहित्य, पुराणेतिहास व 'ख'वर्ग गृहविज्ञान की सम्बद्धता/मान्यता हेतु आवेदन किया गया। जिस पर उप शिक्षा निदेशक(संस्कृत) की संस्तुति पत्र दिनांक 16-01-2020 के आधार पर शास्त्री पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुसंशा की। आवेदन पत्र के साथ संलग्न पत्राजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शुल्क रू॰25000/-(पच्चीस हजार मात्र) भूमि अराजी न॰223, भूमि 0.283 हेक्टेयर(30461 वर्गफुट), लीज डीड, 08 कक्ष 30×28 वर्गफुट, पुस्तकालय कक्ष है। आय के सम्बन्ध में बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, पुस्तकालय आदि विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया। महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 09-11-2020 को प्रो॰ कमलाकान्त त्रिपाठी एवं पो॰माधव रटाटे का निरीक्षक मण्डल गठित किया गया। जिसका पत्र दिनांक 23-11-2020 को निरीक्षण मण्डल का गठन हेतु प्रेषित किया गया। निरीक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 14-12-2020 को महाविद्यालय निरीक्षण किया गया तथा यह पाया कि महाविद्यालय के नाम अराजी न॰223, भूमि 0.283 हेक्टेयर(30461 वर्गफुट), लीज डीड, 08 कक्ष 30×28 वर्गफुट, 02 हाल 50×40 वर्गफुट, 02 पुस्तकालय कक्ष एवं क्रीडा स्थल है। निरीक्षण मण्डल द्वारा शास्त्री साहित्य, पुराणेतिहास एवं 'ख' वर्ग गृहविज्ञान की संस्तुति किया गया है। सम्बद्धता/मान्यता की अन्य शर्ते मानकानुसार औपारिकताये पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति विचार विमर्श के अनन्तर महाविद्यालय को द्वारा **शास्त्री साहित्य, पुराणेतिहास एवं 'ख' वर्ग गृहविज्ञान** विषय की सम्बद्धता/मान्यता की संस्तुति प्रदान करती है।

4-समता विद्यापीठ संस्कृत महाविद्यालय, लछिया, कुशीनगर

प्रबन्धक, समता विद्यापीठ संस्कृत महाविद्यालय, लछिया, कुशीनगर द्वारा दिनांक 04-02-2016 को विश्वविद्यालय में शास्त्री स्तर पर साहित्य, व्याकरण एवं बौद्ध दर्शन की सम्बद्धता/मान्यता हेतु आवेदन किया गया। जिस पर उप शिक्षा निदेशक(संस्कृत) की संस्तुति पत्र दिनांक 20-05-2018 के आधार पर शास्त्री पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुसंशा की। आवेदन पत्र के साथ संलग्न पत्राजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शुल्क रू॰25000/-(पच्चीस हजार मात्र) भूमि 0.210 हेक्टेयर(22604 वर्गफुट), 10 पक्का कक्ष 01 25×20 वर्गफुट, 04 कक्ष 20×20 वर्गफुट, 06 कक्ष 20×35 वर्गफुट, पुस्तकालय कक्ष सहित है। आय के सम्बन्ध में बैंक पासबुक, पुस्तकालय आदि विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया। महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 29-02-2020 को प्रो॰ शीतला प्रसाद उपाध्याय एवं पो॰ विनय कुमार पाण्डेय एवं डॉ॰ मनोज कुमार मिश्र का निरीक्षक मण्डल गठित किया गया। जिसका पत्र दिनांक 27-08-2020 को निरीक्षण मण्डल का गठन हेतु प्रेषित किया गया। निरीक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 06-12-2020 को महाविद्यालय निरीक्षण किया गया तथा यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि भूमि 0.210 हेक्टेयर(22604 वर्गफुट), 06 कक्ष 35×25 वर्गफुट, 01 हाल 40×25 वर्गफुट, 01 पुस्तकालय, क्रीडा प्रागंड है। निरीक्षण मण्डल द्वारा साहित्य, व्याकरण एवं बौद्ध दर्शन की संस्तुति किया गया है। सम्बद्धता/मान्यता की अन्य शर्ते मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति विचार विमर्श के अनन्तर महाविद्यालय को द्वारा **शास्त्री साहित्य, एवं बौद्ध दर्शन** विषय की सम्बद्धता/मान्यता की संस्तुति प्रदान करती

है तथा व्याकरण विषय की मान्यता/सम्बद्धता इस शर्त के साथ संस्तुत करती है कि शुल्क रू॰ 10000/-(दस हजार मात्र) जमा करने पर प्रदान की जाय।

5-श्री शान्ति संस्कृत महाविद्यालय, खानपुर, कन्द्रियावाँ, गोसाईगंज, अम्बेडकरनगर।

प्रबन्धक, श्री शान्ति संस्कृत महाविद्यालय, खानपुर, कन्द्रियावाँ, गोसाईगंज, अम्बेडकरनगर द्वारा दिनांक 11-03-2019 को विश्वविद्यालय में शास्त्री स्तर पर साहित्य, व्याकरण की सम्बद्धता/मान्यता हेतु आवेदन किया गया। जिस पर उप शिक्षा निदेशक(संस्कृत) की संस्तुति पत्र दिनांक 18-02-2019 के आधार पर शास्त्री पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुसंशा की। आवेदन पत्र के साथ संलग्न पत्राजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शुल्क रू॰25000/-(पच्चीस हजार मात्र) भूमि 1860 वर्गमीटर(20020 वर्गफुट), 08 कक्ष 20×30 वर्गफुट, 02 कार्यालय कक्ष 20×20 वर्गफुट, पुस्तकालय कक्ष है। आय के सम्बन्ध में बैंक स्टेटमेंट, पुस्तकालय आदि विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया। महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 29-02-2020 को प्रो॰ गंगाधर पण्डा एवं प्रो॰ रामपूजन पाण्डेय एवं डॉ॰ शंकर कुमार मिश्र का निरीक्षक मण्डल गठित किया गया। जिसका पत्र दिनांक 09-02-2020 को निरीक्षण मण्डल का गठन हेतु प्रेषित किया गया। निरीक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 28-10-2020 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया तथा यह पायाग गया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 1860 वर्गमीटर(20020 वर्गफुट), 08 कक्ष 20×30 वर्गफुट, 02 कार्यालय कक्ष 20×30 वर्गफुट, पुस्तकालय कक्ष है। निरीक्षण मण्डल द्वारा साहित्य, व्याकरण विषय की संस्तुति किया गया है। सम्बद्धता/मान्यता की अन्य शर्ते मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति विचार विमर्श के अनन्तर महाविद्यालय को द्वारा **शास्त्री साहित्य, व्याकरण** विषय की सम्बद्धता/मान्यता की संस्तुति प्रदान करती है।

6-कार्म्युद कालेज, डल्हान, सहस्त्रधारा, रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।

प्रबन्धक, कार्म्युद कालेज, डल्हान, सहस्त्रधारा, रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 10-01-2017 को विश्वविद्यालय में महाविद्यालय द्वारा कर्मे श्री नालन्दा उच्च बौद्ध शिक्षा संस्थान रूम्तेक सिक्मि का पाठ्यक्रम हेतु आचार्य पर्यन्त भोट बौद्ध दर्शन की सम्बद्धता/मान्यता हेतु आवेदन किया गया। जिस पर राज्य उतराखण्ड शासन संस्कृत शिक्षा अनुभाग की अनापत्ति पत्र दिनांक 15-12-2016 के आधार पर आचार्य पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुसंशा की। आवेदन पत्र के साथ संलग्न पत्राजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शुल्क रू॰25000/-(पच्चीस हजार मात्र) भूमि 0.7610 हेक्टेयर(81913.35 वर्गफुट) 19 कक्ष, 02 पुस्तकालय कक्ष, क्रीडा स्थल है। आय के सम्बन्ध में चार्टेड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण, आदि विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया। महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 17-11-2019 को प्रो॰ रमेश कुमार द्विवेदी, प्रो॰ विष्णुपद महापात्रा एवं डॉ॰ रविशंकर पाण्डेय का निरीक्षक मण्डल गठित किया गया। जिसका पत्र दिनांक 06-01-2020 को निरीक्षण मण्डल का गठन हेतु प्रेषित किया गया। निरीक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 09-02-2020 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 0.7610 हेक्टेयर(81913.35 वर्गफुट) 15 कक्ष 30×40 वर्गफुट, 02 हाल 80×100 वर्गफुट, 03 पुस्तकालय कक्ष एवं क्रीडा स्थल है। निरीक्षण मण्डल द्वारा आचार्य पर्यन्त भोट बौद्ध दर्शन विषय की संस्तुति किया गया है। सम्बद्धता/मान्यता की अन्य शर्ते मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति विचार विमर्श के अनन्तर महाविद्यालय को **आचार्य पर्यन्त भोट बौद्ध दर्शन** विषय की सम्बद्धता/मान्यता की संस्तुति इस शर्त के साथ प्रदान प्रदान करती है कि कर्मे श्री नालन्दा उच्च बौद्ध शिक्षा संस्थान रूम्तेक सिक्किम में संचालित पाठ्यक्रम ही महाविद्यालय में संचालित होगा।

7-चूणामणि संस्कृत संस्थानम्, बसोहली, कठुआ, जम्मू काश्मीर।

प्रबन्धक, चूणामणि संस्कृत संस्थानम्, बसोहली, कठुआ, जम्मू काश्मीर द्वारा दिनांक 26-12-2019 को विश्वविद्यालय में मध्यमा स्तर की सम्बद्धता/मान्यता हेतु आवेदन किया गया। जिस पर जम्मू एण्ड काश्मरा की अनापत्ति पत्र दिनांक 19-08-2019 के आधार पर मध्यमा पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुसंशा की। आवेदन पत्र के साथ संलग्न पत्राजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्यालय द्वारा सम्बद्धता शुल्क रू॰25000/-(पच्चीस हजार मात्र) भूमि 10500 वर्गफुट, 06 व्याख्यान कक्ष 500 वर्गफुट, 01 पुस्तकालय कक्ष 400 वर्गफुट है। विद्यालय शहरी क्षेत्र में स्थित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 29-02-2020 को प्रो॰ राजनाथ , डॉ॰ सरोज कुमार पाढ़ी एवं डॉ॰ शत्रुध्न त्रिपाठी का निरीक्षक मण्डल गठित किया गया। जिसका पत्र दिनांक 27-08-2020 को निरीक्षण मण्डल का गठन हेतु प्रेषित किया गया। निरीक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 09-10-2020 को विद्यालय का निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि विद्यालय के नाम भूमि 10500 वर्गफुट, 06 व्याख्यान कक्ष 500 वर्गफुट, 01 पुस्तकालय कक्ष 400 वर्गफुट है। निरीक्षण मण्डल द्वारा मध्यमा स्तर पाठ्यक्रम की संस्तुति किया गया है। सम्बद्धता/मान्यता की अन्य शर्ते मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति विचार विमर्श के अनन्तर विद्यालय को द्वारा **मध्यमा स्तर पाठ्यक्रम** विषय की सम्बद्धता/मान्यता की संस्तुति प्रदान करती है।

8-परशुराम संस्कृत महाविद्यालय, देवकठियाँ, गाजीपुर।

प्रबन्धक, परशुराम संस्कृत महाविद्यालय, देवकठियाँ, गाजीपुर द्वारा दिनांक 21-01-2019 को विश्वविद्यालय में शास्त्री स्तर पर साहित्य, पुराणेतिहास 'ख' वर्ग गृहविज्ञान की सम्बद्धता/मान्यता हेतु आवेदन किया गया। जिस पर उप शिक्षा निदेशक(संस्कृत) की संस्तुति पत्र दिनांक 04-01-2019 के आधार पर शास्त्री पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुसंशा की। आवेदन पत्र के साथ संलग्न पत्राजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शुल्क रू॰25000/-(पच्चीस हजार मात्र) भूमि 0.2020 हेक्टेयर (21743 वर्गफुट) लीजडीड, 09 कक्ष 20×25 वर्गफुट(04 व्याख्यान कक्ष, 01 पुस्तकालय, 01 प्राचार्य कक्ष, 01 कार्यालय कक्ष, एवं 02 अतिरिक्त कक्ष), क्रीडा प्रागंड़, 03 लैट्रिन, 02 बाथरूम, किचन स्थित है। आय के सम्बन्ध में आय-व्यय विवरण, आदि विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया। महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 17-01-2020 को प्रो॰ विधु द्विवेदी, डॉ॰ पद्माकर मिश्र एवं डॉ॰ दिनेश कुमार गर्ग का निरीक्षक मण्डल गठित किया गया। जिसका पत्र दिनांक 06-03-2020 को निरीक्षण मण्डल का गठन हेतु प्रेषित किया गया। निरीक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 02-09-2020 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 0.2020 हेक्टेयर (21743 वर्गफुट), 09 कक्ष 20×25 वर्गफुट(04 व्याख्यान कक्ष, 01 पुस्तकालय, 01 प्राचार्य कक्ष, 01 कार्यालय कक्ष, एवं 02 अतिरिक्त कक्ष), क्रीडा प्रागंड़, 03 लैट्रिन, 02 बाथरूम, किचन स्थित है। निरीक्षण मण्डल द्वारा साहित्य, पुराणेतिहास एवं 'ख' वर्ग गृहविज्ञान विषय की संस्तुति किया गया है। सम्बद्धता/मान्यता की अन्य शर्ते मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति विचार विमर्श के अनन्तर महाविद्यालय को द्वारा **शास्त्री साहित्य, पुराणेतिहास एवं 'ख' वर्ग गृहविज्ञान** विषय की सम्बद्धता/मान्यता की संस्तुति प्रदान करती है।

9-गुरू रघुवर प्रसाद बौद्ध संस्कृत महाविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर, कटहुला, गौसपुर, इलाहाबाद।

प्रबन्धक, गुरू रघुवर प्रसाद बौद्ध संस्कृत महाविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर, कटहुला, गौसपुर, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 30-08-2018 को विश्वविद्यालय में शास्त्री स्तर पर साहित्य, व्याकरण एवं पुराणेतिहास 'ख' वर्ग गृहविज्ञान की सम्बद्धता/मान्यता हेतु आवेदन किया गया। जिस पर उप शिक्षा निदेशक(संस्कृत) की संस्तुति पत्र दिनांक 25-04-2018 के आधार पर शास्त्री पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुसंशा की। आवेदन पत्र के साथ संलग्न पत्राजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शुल्क रू॰25000/-(पच्चीस हजार मात्र) भूमि 0.1940 हेक्टेयर(20881 वर्गफुट) 07 कक्ष 25×30 वर्गफुट, 01 हाल 25×30 वर्गफुट, 01 पुस्तकालय कक्ष है। आय के सम्बन्ध में बैंक पासबुक की छायाप्रति, आदि विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया। महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 25-11-2019 को प्रो॰ विधु द्विवेदी, डॉ॰ दिनेश कुमार गर्ग एवं प्रो॰ जनार्दन प्रसाद पाण्डेय 'मणि' का निरीक्षक मण्डल गठित किया गया। जिसका पत्र दिनांक 09-02-2020 को निरीक्षण मण्डल का गठन हेतु प्रेषित किया गया। निरीक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 02-07-2020 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 0.1940 हेक्टेयर(20881 वर्गफुट) 07 कक्ष 25×30 वर्गफुट, 01 हाल 25×30 वर्गफुट, 01 पुस्तकालय कक्ष है। निरीक्षण मण्डल द्वारा साहित्य, व्याकरण, एवं प्राचीनराजशास्त्र अर्थशास्त्र एवं 'ख' वर्ग गृहविज्ञान विषय की संस्तुति किया गया है। सम्बद्धता/मान्यता की अन्य शर्ते मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति विचार विमर्श के अनन्तर महाविद्यालय को द्वारा **शास्त्री साहित्य, व्याकरण, एवं प्राचीनराजशास्त्र अर्थशास्त्र** विषय की सम्बद्धता/मान्यता की संस्तुति प्रदान करती है। तथा व्याकरण विषय की मान्यता/सम्बद्धता इस शर्त के साथ संस्तुत करती है कि शुल्क रू॰ 10000/-(दस हजार मात्र) जमा करने पर प्रदान की जाय।

10-वीरेन्द्र बहादुर संस्कृत महाविद्यालय, बींद मुजाही बाजार, पट्टी, प्रतापगढ़।

प्रबन्धक, वीरेन्द्र बहादुर संस्कृत महाविद्यालय, बींद मुजाही बाजार, पट्टी, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 13-03-2019 को विश्वविद्यालय में शास्त्री स्तर पर साहित्य, व्याकरण की सम्बद्धता/मान्यता हेतु आवेदन किया गया। जिस पर उप शिक्षा निदेशक(संस्कृत) की संस्तुति पत्र दिनांक 18-02-2019 के आधार पर शास्त्री पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुसंशा की। आवेदन पत्र के साथ संलग्न पत्राजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शुल्क रू॰25000/-(पच्चीस हजार मात्र) भूमि 0.531 हेक्टेयर(57156 वर्गफुट) 05 कक्ष 20×30, 03 कक्ष 20×25, 02 कक्ष 20×20, 02 कक्ष 20×15 वर्गफुट, 01 पुस्तकालय है। आय के सम्बन्ध में बैंक पासबुक की छायाप्रति, आदि विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया। महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 09-11-2020 को डॉ॰ विजय कुमार पाण्डेय एवं डॉ॰ दिनेश कुमार गर्ग का निरीक्षक मण्डल गठित किया गया। जिसका पत्र दिनांक 19-11-2020 को निरीक्षण मण्डल का गठन हेतु प्रेषित किया गया। निरीक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 26-12-2020 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 0.531 हेक्टेयर(57156 वर्गफुट) 05 कक्ष 20×30, 03 कक्ष 20×25, 02 कक्ष 20×20, 02 कक्ष 20×15 वर्गफुट, 01 हाल 113×25 वर्गफुट, 01 पुस्तकालय कक्ष 42×25 है। निरीक्षण मण्डल द्वारा साहित्य, ज्योतिष, प्राचीनराजशास्त्र अर्थशास्त्र विषय की संस्तुति किया गया है। सम्बद्धता/मान्यता की अन्य शर्ते मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति विचार विमर्श के अनन्तर महाविद्यालय को द्वारा **शास्त्री ज्योतिष, प्राचीनराजशास्त्र अर्थशास्त्र**

विषय की सम्बद्धता/मान्यता की संस्तुति प्रदान करती है। तथा साहित्य विषय की मान्यता/सम्बद्धता इस शर्त के साथ संस्तुत करती है कि शुल्क रू॰ 10,000/-(दस हजार मात्र) जमा करने पर प्रदान की जाय।

11- विमला देवी संस्कृत महाविद्यालय, मोकलपुर, गोबरहाँ, वाराणसी।

प्रबन्धक, विमला देवी संस्कृत महाविद्यालय, मोकलपुर, गोबरहाँ, वाराणसी द्वारा दिनांक 06-11-2017 को विश्वविद्यालय में शास्त्री एवं आचार्य स्तर पर साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, प्राचीनराजशास्त्र अर्थशास्त्र की सम्बद्धता/मान्यता हेतु आवेदन किया गया। जिस पर उप शिक्षा निदेशक(संस्कृत) की संस्तुति पत्र दिनांक 04-03-2020 के आधार पर शास्त्री पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुसंशा की। आवेदन पत्र के साथ संलग्न पत्राजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शुल्क रू॰25,000/-(पच्चीस हजार मात्र) भूमि 10263.19 वर्गमीटर,(लीजडीड) 12 कक्ष 20×25, 01 हाल 20×25 वर्गफुट, 01 पुस्तकालय, 01 प्रयोगशाला है। आय के सम्बन्ध में बैंक पासबुक की छायाप्रति, आदि विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया। महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 16-12-2020 को प्रो॰विधु द्विवेदी एवं डॉ॰ राजा पाठक का निरीक्षक मण्डल गठित किया गया। जिसका पत्र दिनांक 28-12-2020 को निरीक्षण मण्डल का गठन हेतु प्रेषित किया गया। निरीक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 02-01-2021 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि महाविद्यालय के भूमि 0.5080 हेक्टेयर(54680 वर्गफुट) (लीजडीड) 12 कक्ष 20×25, 01 हाल 20×25 वर्गफुट, 01 पुस्तकालय है। निरीक्षण मण्डल द्वारा साहित्य, ज्योतिष, व्याकरण एवं 'ख' वर्ग गृहविज्ञान विषय की संस्तुति किया गया है। सम्बद्धता/मान्यता की अन्य शर्ते मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति विचार विमर्श के अनन्तर महाविद्यालय को द्वारा **शास्त्री साहित्य, व्याकरण** विषय की सम्बद्धता/मान्यता की संस्तुति प्रदान करती है। तथा 'ख' वर्ग गृहविज्ञान विषय की मान्यता/सम्बद्धता इस शर्त के साथ संस्तुत करती है कि गृहविज्ञान प्रयोगशाला से उपयोग आने वाले सामाग्रीयों को क्रय कर सूचित करने पर प्रदान की जाय।

12-पं॰ मानिक चन्द्र शर्मा संस्कृत महाविद्यालय, आमी सराय, मानिकचन्द्र नगर, पृथ्वीगंज बाजार, पट्टी, प्रतापगढ़।

प्रबन्धक, पं॰ मानिक चन्द्र शर्मा संस्कृत महाविद्यालय, आमी सराय, मानिकचन्द्र नगर, पृथ्वीगंज बाजार, पट्टी, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 17-06-2019 को विश्वविद्यालय में शास्त्री स्तर पर साहित्य, व्याकरण की सम्बद्धता/मान्यता हेतु आवेदन किया गया। जिस पर उप शिक्षा निदेशक(संस्कृत) की संस्तुति पत्र दिनांक 06-06-2019 के आधार पर शास्त्री पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुसंशा की। आवेदन पत्र के साथ संलग्न पत्राजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शुल्क रू॰25,000/-(पच्चीस हजार मात्र) भूमि 0.202 हेक्टेयर(21743 वर्गफुट) 12 कक्ष , 01 पुस्तकालय है। आय के सम्बन्ध में बैंक पासबुक की छायाप्रति, आदि विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया। महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 09-11-2020 को प्रो॰हरप्रसाद दीक्षित एवं श्री विश्वेश्वर प्रसाद का निरीक्षक मण्डल गठित किया गया। जिसका पत्र दिनांक 23-11-2020 को निरीक्षण मण्डल का गठन हेतु प्रेषित किया गया। निरीक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 19-12-2020 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि महाविद्यालय के भूमि 0.704 हेक्टेयर(75777 वर्गफुट) 11 कक्ष 516 वर्गफुट, 04 हाल 581 वर्गफुट, 01 पुस्तकालय है निरीक्षण मण्डल द्वारा साहित्य, व्याकरण एवं 'ख' वर्ग गृहविज्ञान विषय की संस्तुति किया गया है। सम्बद्धता/मान्यता की अन्य शर्ते मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति विचार विमर्श के अनन्तर महाविद्यालय को द्वारा **शास्त्री साहित्य एवं व्याकरण** विषय की सम्बद्धता/मान्यता की संस्तुति प्रदान करती है। तथा 'ख' वर्ग **गृहविज्ञान** विषय की मान्यता/सम्बद्धता इस शर्त के साथ संस्तुत करती है कि गृहविज्ञान प्रयोगशाला से उपयोग आने वाले सामाग्रीयों को क्रय कर सूचित करने पर प्रदान प्रदान की जाय।

13- माँ अन्नपूर्णा शिक्षण संस्थान निकट-पुलिस लाईन, अकबरपुर, कानपुर देहात।

प्रबन्धक, माँ अन्नपूर्णा शिक्षण संस्थान निकट-पुलिस लाईन, अकबरपुर, कानपुर देहात द्वारा दिनांक 10-11-2017 को विश्वविद्यालय में शास्त्री स्तर पर साहित्य, व्याकरण की सम्बद्धता/मान्यता हेतु आवेदन किया गया। जिस पर उप शिक्षा निदेशक(संस्कृत) की संस्तुति पत्र दिनांक 26-12-2017 के आधार पर शास्त्री पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुसंशा की। आवेदन पत्र के साथ संलग्न पत्राजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शुल्क रू॰25,000/-(पच्चीस हजार मात्र) भूमि 5000 वर्गमीटर (लीजडीड),08 कक्ष 20×25 वर्गफुट, 01 हाल 30×70 वर्गफुट, 02 कक्ष 30×30 तथा 01 पुस्तकालय है। महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 02-03-2020 को प्रो॰पवन अग्रवाल, डॉ॰ वृचा पाण्डेय एवं डॉ॰ विद्या कुमारी चन्द्रा का निरीक्षक मण्डल गठित किया गया। जिसका पत्र दिनांक 18-03-2020 को निरीक्षण मण्डल का गठन हेतु प्रेषित किया गया। निरीक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 16-09-2020 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि महाविद्यालय के भूमि 5000 वर्गमीटर (लीजडीड), 09 कक्ष 500 वर्गफुट, 02 हाल 2100 वर्गफुट, तथा 01 पुस्तकालय एवं क्रीड़ा प्रागंड़ है। निरीक्षण मण्डल द्वारा साहित्य, व्याकरण विषय की संस्तुति किया गया है। सम्बद्धता/मान्यता की अन्य शर्ते मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति विचार विमर्श के अनन्तर महाविद्यालय को **शास्त्री साहित्य एवं व्याकरण** विषय की सम्बद्धता/मान्यता की संस्तुति प्रदान करती है।

14- विमला राधेश्याम संस्कृत महाविद्यालय, पचारा नन्दगंज, गाजीपुर।

प्रबन्धक, विमला राधेश्याम संस्कृत महाविद्यालय, पचारा नन्दगंज, गाजीपुर द्वारा दिनांक 18-02-2017 को विश्वविद्यालय में शास्त्री स्तर पर साहित्य, दर्शन एवं पुराणेतिहास की सम्बद्धता/मान्यता हेतु आवेदन किया गया। जिस पर उप शिक्षा निदेशक(संस्कृत) की संस्तुति पत्र दिनांक 15-12-2016 के आधार पर शास्त्री पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुसंशा की। आवेदन पत्र के साथ संलग्न पत्राजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शुल्क रू॰25,000/-(पच्चीस हजार मात्र) भूमि 0.1580 हेक्टेयर(17006 वर्गफुट) 08×06 मीटर, 11 कक्ष 16×06 मीटर, 02 कक्ष, 01 पुस्तकालय एवं क्रीडा प्रागंड़ है। आय के सम्बन्ध में बैंक पासबुक की छायाप्रति, आदि विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया। महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 08-09-2017 को प्रो॰आशुतोष मिश्र, प्रो॰ जय प्रकाश नारायण त्रिपाठी एवं प्रो॰ सुधाकर मिश्र का निरीक्षक मण्डल गठित किया गया। जिसका पत्र दिनांक 15-11-2017 को निरीक्षण मण्डल का गठन हेतु प्रेषित किया गया। निरीक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 06-01-2017 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि महाविद्यालय के भूमि 0.1580 हेक्टेयर(17006 वर्गफुट) 07 कक्ष 20×25, 01 हाल 30×25 वर्गफुट, तथा 01 पुस्तकालय है। निरीक्षण मण्डल द्वारा साहित्य, दर्शन एवं पुराणेतिहास विषय की संस्तुति किया गया है। सम्बद्धता/मान्यता की अन्य शर्ते मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति विचार विमर्श के अनन्तर महाविद्यालय को सम्बद्धता/मान्यता हेतु मानक के अनुसार भूमि उपलब्ध न होना पाया। अतः मानकनुसार भूमि का प्रमाण उपलब्ध होने पर मान्यता पर विचार किया जाय।

15- श्रीमती विमला सिंह सिगरौर संस्कृत महाविद्यालय, मुरादपुर, चायल, कौशाम्बी।

प्रबन्धक, श्रीमती विमला सिंह सिगरौर संस्कृत महाविद्यालय, मुरादपुर, चायल, कौशाम्बी द्वारा दिनांक 30-08-2017 को विश्वविद्यालय में शास्त्री स्तर पर साहित्य, व्याकरण एवं पुराणेतिहास की सम्बद्धता/मान्यता हेतु आवेदन किया गया। जिस पर उप शिक्षा निदेशक(संस्कृत) की संस्तुति पत्र दिनांक 18-08-2017 के आधार पर शास्त्री पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुसंशा की। आवेदन पत्र के साथ संलग्न पत्राजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शुल्क रू॰25,000/-(पच्चीस हजार मात्र), भूमि 0.194 हेक्टेयर(20881 वर्गफुट) 06 कक्ष 20×25, 01 कक्ष 19×16, 02 कक्ष 17×16 वर्गफुट, 01 कक्ष 18×26 वर्गफुट, पुस्तकालय है। महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 11-11-2017 एवं 27-01-2020 को प्रो॰रामकिशोर त्रिपाठी, प्रो॰ व्यास मिश्र एवं प्रो॰ महेन्द्र पाण्डेय का निरीक्षक मण्डल गठित किया गया। जिसका पत्र दिनांक 27-01-2020 को निरीक्षण मण्डल का गठन हेतु प्रेषित किया गया। निरीक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 07-02-2020 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि महाविद्यालय के भूमि 0.194 हेक्टेयर(20881 वर्गफुट) 03 (कक्ष 19×16, 17×16, 18×26 वर्गफुट) 06 हाल 20×25 वर्गफुट, तथा 01 पुस्तकालय एवं क्रीडा स्थल है। निरीक्षण मण्डल द्वारा साहित्य, व्याकरण विषय की संस्तुति किया गया है। सम्बद्धता/मान्यता की अन्य शर्ते मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति विचार विमर्श के अनन्तर महाविद्यालय को **शास्त्री साहित्य एवं व्याकरण** विषय की सम्बद्धता/मान्यता की संस्तुति प्रदान करती है।

16- श्री ज्ञानराज वेदान्त गुरूकुलम् परशुराम नगर केलगांव, आलढ़ी देवाची, खेड़ा पुणे, महाराष्ट्र।

प्रबन्धक, श्री ज्ञानराज वेदान्त गुरूकुलम् परशुराम नगर केलगांव, आलढ़ी देवाची, खेड़ा पुणे, महाराष्ट्र द्वारा दिनांक 30-12-2020 को विश्वविद्यालय में शास्त्री पर्यन्त नव्यव्याकरण एवं वेदान्त की सम्बद्धता/मान्यता हेतु आवेदन किया गया। तथा यह प्रार्थना की गयी कि सरकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र निरीक्षण के समय प्रस्तुत कर दिया जायेगा, के आधार पर मध्यमा एवं शास्त्री पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुसंशा की। आवेदन पत्र के साथ संलग्न पत्राजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शुल्क रू॰50,000/-(पचास हजार मात्र) भूमि 700 वर्गमीटर (7534 वर्गफुट)लीज डीड संलग्न है, 13 कक्ष (15×20), 02 हाल 40×30, 01 पुस्तकालय है। महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 25-01-2021 को प्रो॰रामकिशोर त्रिपाठी, प्रो॰ रामपूजन पाण्डेय एवं डॉ॰ कुन्ज बिहारी द्विवेदी का निरीक्षक मण्डल गठित किया गया। जिसका पत्र दिनांक 28-01-2021 को निरीक्षण मण्डल का गठन हेतु प्रेषित किया गया। निरीक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 11-12/02/2021 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि महाविद्यालय के भूमि 700 वर्गमीटर (7534 वर्गफुट)लीजडीड संलग्न है, 13 कक्ष (15×20), 02 हाल 40×30, 01 पुस्तकालय है। महाराष्ट्र सरकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है। निरीक्षण मण्डल द्वारा पूर्वमध्यमा, उत्तरमध्यमा एवं शास्त्री व्याकरण, न्याय, साहित्य, वेदान्त एवं दर्शन विषय की संस्तुति किया गया है। सम्बद्धता/मान्यता की अन्य शर्ते मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में कुलसचिव द्वारा भूमि मानकानुसार कम होना अवगत कराया गया जिस पर निरीक्षण मण्डल के सदस्य जो समिति के भी सदस्य है ने समिति को अवगत कराया कि भूमि मानक के अनुसार यद्यपि कम है परन्तु भवन तीन मंजिला होने कारण अध्ययन अध्यापन के सुव्यवस्थित संचालन में कोई असुबिधा नहीं होगी। उक्त के आलोक में समिति इस शर्त के साथ महाविद्यालय को **मध्यमा एवं शास्त्री व्याकरण तथा वेदान्त** विषय की सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति करती है कि स्थायीकरण मानक के अनुसार भूमि उपलब्ध होने पर किया जाय। अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता वापस ले ली जाय।

17- श्री जयराम सिंह संस्कृत महाविद्यालय, कोहड़ा, बड़ेरी, जौनपुर।

प्रबन्धक, श्री जयराम सिंह संस्कृत महाविद्यालय, कोहड़ा, बड़ेरी, जौनपुर द्वारा दिनांक 08-06-2016 को विश्वविद्यालय में शास्त्री स्तर पर साहित्य, व्याकरण की सम्बद्धता/मान्यता हेतु आवेदन किया गया। जिस पर उप शिक्षा निदेशक(संस्कृत) की संस्तुति पत्र दिनांक 06-05-2016 के आधार पर शास्त्री पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुसंशा की। आवेदन पत्र के साथ संलग्न पत्राजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शुल्क रू॰25,000/-(पच्चीस हजार मात्र), भूमि 0.223 हेक्टेयर (24003 वर्गफुट)लीजडीड संलग्न है, 06 कक्ष (20×30), 03 कक्ष 20×25, 01 कक्ष 35×40, 01 कक्ष 30×40, 04 कक्ष 20×40 एवं पुस्तकालय है। महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 16-12-2020 को प्रो॰ हरप्रसाद दीक्षित, डा॰ पद्माकर मिश्र का निरीक्षक मण्डल गठित किया गया। जिसका पत्र दिनांक 28-12-2020 को निरीक्षण मण्डल का गठन हेतु प्रेषित किया गया। निरीक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 16-02-2020 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि महाविद्यालय के भूमि 0.223 हेक्टेयर (24003 वर्गफुट)लीज डीड संलग्न है, 06 कक्ष (20×30), 03 कक्ष 20×25, 01 कक्ष 35×40, 01 कक्ष 30×40, 04 कक्ष 20×40 एवं पुस्तकालय है। निरीक्षण मण्डल द्वारा साहित्य, व्याकरण विषय की संस्तुति किया गया है। सम्बद्धता/मान्यता की अन्य शर्ते मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति विचार विमर्श के अनन्तर महाविद्यालय को **शास्त्री साहित्य एवं व्याकरण** विषय की सम्बद्धता/मान्यता की संस्तुति प्रदान करती है। 'ख' वर्ग **गृहविज्ञान** विषय की मान्यता/सम्बद्धता इस शर्त के साथ संस्तुत करती है कि गृहविज्ञान प्रयोगशाला से उपयोग आने वाले सामाग्रीयों को क्रय कर सूचित करने पर प्रदान की जाय।

18- डॉ॰ अभयजीत मिश्र शिक्षण संस्थान संस्कृत महाविद्यालय, मेढ़ा, जौनपुर।

प्रबन्धक, डॉ॰ अभयजीत मिश्र शिक्षण संस्थान संस्कृत महाविद्यालय, मेढ़ा, जौनपुर द्वारा दिनांक 04-05-2016 को विश्वविद्यालय में शास्त्री स्तर पर साहित्य एवं व्याकरण की सम्बद्धता/मान्यता हेतु आवेदन किया गया। जिस पर उप शिक्षा निदेशक(संस्कृत) की संस्तुति पत्र दिनांक 12-04-2016 के आधार पर शास्त्री पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुसंशा की। आवेदन पत्र के साथ संलग्न पत्राजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शुल्क रू॰25,000/-(पच्चीस हजार मात्र), भूमि 0.325 हेक्टेयर (34982 वर्गफुट)लीजडीड संलग्न है, 08 कक्ष (20×30), 05 कक्ष 20×25, एवं पुस्तकालय है। महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 11-11-2017 को प्रो॰ के॰सी॰ दुबे, प्रो॰ राजनाथ एवं डॉ॰ विजय कुमार पाण्डेय का निरीक्षक मण्डल गठित किया गया। जिसका पत्र दिनांक 08-12-2017 को निरीक्षण मण्डल का गठन हेतु प्रेषित किया गया। निरीक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 29-11-2020 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि महाविद्यालय के भूमि 0.325 हेक्टेयर (34982 वर्गफुट)लीजडीड संलग्न है, 08 कक्ष (20×30), 05 कक्ष 20×25, एवं पुस्तकालय है। निरीक्षण मण्डल द्वारा साहित्य, व्याकरण विषय की संस्तुति किया गया है। सम्बद्धता/मान्यता की अन्य शर्ते मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति विचार विमर्श के अनन्तर महाविद्यालय को **शास्त्री साहित्य एवं व्याकरण** विषय की सम्बद्धता/मान्यता की संस्तुति प्रदान करती है।

19- शिवमूरत संस्कृत महाविद्यालय, सिरकोनी, जमालपुर, जौनपुर।

प्रबन्धक, शिवमूरत संस्कृत महाविद्यालय, सिरकोनी, जमालपुर, जौनपुर द्वारा दिनांक 13-04-2017 को विश्वविद्यालय में शास्त्री स्तर पर साहित्य एवं पुराणेतिहास की सम्बद्धता/मान्यता हेतु आवेदन किया गया। जिस पर उप शिक्षा निदेशक(संस्कृत) की संस्तुति पत्र दिनांक 06-04-2017 के आधार पर शास्त्री पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुसंशा की। आवेदन पत्र के साथ संलग्न पत्राजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शुल्क रू॰25,000/-(पच्चीस हजार मात्र), भूमि 28610 वर्गफुट (लीजडीड) संलग्न है, 07 कक्ष 20×25, 01 कक्ष 25×40, 02 कक्ष 14×20, 02 कक्ष 20×15 एवं पुस्तकालय है। महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 25-01-2021 को प्रो॰ अमित कुमार शुक्ल, डॉ॰ सत्येन्द्र यादव एवं श्री शशीन्द्र मिश्र का निरीक्षक मण्डल गठित किया गया। जिसका पत्र दिनांक 28-01-2021 को निरीक्षण मण्डल का गठन हेतु प्रेषित किया गया। निरीक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 09-02-2021 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि महाविद्यालय के भूमि 28610 वर्गफुट (लीजडीड) संलग्न है, 06 कक्ष 20×25 वर्गफुट, 02 कक्ष 12×14 वर्गफुट, 01 कक्ष 25×50 वर्गफुट, 01 कक्ष 20×25 वर्गफुट, पुस्तकालय एवं क्रीड़ा प्रांगण है। निरीक्षण मण्डल द्वारा साहित्य, व्याकरण विषय की संस्तुति किया गया है। सम्बद्धता/मान्यता की अन्य शर्ते मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति विचार विमर्श के अनन्तर महाविद्यालय को **शास्त्री साहित्य एवं व्याकरण** विषय की सम्बद्धता/मान्यता की संस्तुति प्रदान करती है।

20- विमला देवी संस्कृत महाविद्यालय, सराय पड़री, शंकरगंज, जौनपुर।

प्रबन्धक, विमला देवी संस्कृत महाविद्यालय, सराय पड़री, शंकरगंज, जौनपुर द्वारा दिनांक 28-05-2016 को विश्वविद्यालय में शास्त्री स्तर पर साहित्य एवं व्याकरण की सम्बद्धता/मान्यता हेतु आवेदन किया गया। जिस पर उप शिक्षा निदेशक(संस्कृत) की संस्तुति पत्र दिनांक 24-05-2016 के आधार पर शास्त्री पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुसंशा की। आवेदन पत्र के साथ संलग्न पत्राजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शुल्क रू॰25,000/-(पच्चीस हजार मात्र), भूमि अराजी नं॰137 में 1335 वर्गमीटर(14369 वर्गफुट)(लीजडीड) संलग्न है, 05 कक्ष

20×25 वर्गमीटर, 03 कक्ष 20×15 वर्गमीटर एवं पुस्तकालय है। महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 08-09-2017 को प्रो॰ केदार नाथ त्रिपाठी, प्रो॰ शम्भुनाथ शुक्ल एवं डॉ॰ दिनेश कुमार गर्ग का निरीक्षक मण्डल गठित किया गया। जिसका पत्र दिनांक 18-09-2017 को निरीक्षण मण्डल का गठन हेतु प्रेषित किया गया। निरीक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 19-05-2018 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि महाविद्यालय के भूमि अराजी नं॰137 में 1335 वर्गमीटर(14369 वर्गफुट)(लीजडीड) संलग्न है, आफिस सहित 05 कक्ष एवं क्रीडा प्रांगण है। निरीक्षण मण्डल द्वारा साहित्य, व्याकरण विषय की संस्तुति किया गया है। सम्बद्धता/मान्यता की अन्य शर्ते मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति विचार विमर्श के अनन्तर महाविद्यालय के पास अपेक्षित भूमि एवं भवन न होने के कारण महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदत्त न की जाय। इस आशय का निर्णय सम्बद्धता समिति की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19-09-2019 द्वारा लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में प्रबन्धक, महाविद्यालय द्वारा दिनांक 22-12-2020 को अराजी नं॰137 में 558 वर्गमीटर भूमि की लीजडीड एवं भवन का नक्सा प्रस्तुत किया गया। उक्त के परिप्रेक्ष्य में विचार विमर्श के अनन्तर महाविद्यालय की सम्बद्धता/मान्यता के सम्बन्ध में समिति यह संस्तुति करती है कि शास्त्री स्तर पर साहित्य एवं व्याकरण की सम्बद्धता/मान्यता प्रदान की जाय।

2-मान्यता उच्चीकरण के सन्दर्भ में निरीक्षण मण्डल की संस्तुतियों पर विचार।

1- श्री वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय, नवली तोरवां, चन्दौली।

प्रबन्धक, श्री वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय, नवली तोरवां, चन्दौली द्वारा दिनांक 22-07-2018 को विश्वविद्यालय में आचार्य स्तर पर साहित्य, व्याकरण की सम्बद्धता/मान्यता हेतु आवेदन किया गया। जिस पर उप शिक्षा निदेशक(संस्कृत) की संस्तुति पत्र दिनांक 16-07-2018 के आधार पर आचार्य पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुसंशा की। आवेदन पत्र के साथ संलग्न पत्राजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शुल्क रू॰10,000/-(दस हजार मात्र), भूमि 0.2470 हेक्टेयर (26586 वर्गफुट संलग्न है, 10 कक्ष है। महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 25-11-2019 को प्रो॰ हरिशंकर पाण्डेय, प्रो॰ललित कुमार चौबे एवं डॉ॰ श्री कृष्ण त्रिपाठी का निरीक्षक मण्डल गठित किया गया। जिसका पत्र दिनांक 06-01-2020 को निरीक्षण मण्डल का गठन हेतु प्रेषित किया गया। निरीक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 12-02-2020 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि महाविद्यालय के भूमि 28610 वर्गफुट (लीजडीड) संलग्न है, 06 कक्ष 20×25 वर्गफुट, 02 कक्ष 12×14 वर्गफुट, 01 कक्ष 25×50 वर्गफुट, 01 कक्ष 20×25 वर्गफुट, पुस्तकालय एवं क्रीड़ा प्रांगण है। निरीक्षण मण्डल द्वारा साहित्य, व्याकरण विषय की संस्तुति किया गया है। सम्बद्धता/मान्यता की अन्य शर्ते मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति विचार विमर्श के अनन्तर महाविद्यालय के मान्यता के सम्बन्ध में आख्या के साथ अगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

2- श्री जर्नादन संस्कृत महाविद्यालय, मुण्डेरा शुक्ल, सन्तकबीनगर।

प्रबन्धक, श्री जर्नादन संस्कृत महाविद्यालय, मुण्डेरा शुक्ल, सन्तकबीनगर द्वारा दिनांक 31-01-2019 को विश्वविद्यालय में आचार्य स्तर पर साहित्य, व्याकरण की सम्बद्धता/मान्यता हेतु आवेदन किया गया। जिस पर उप शिक्षा निदेशक(संस्कृत) की संस्तुति पत्र दिनांक 03-12-2018 के आधार पर आचार्य पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुसंशा की। आवेदन पत्र के साथ संलग्न पत्राजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शुल्क रू॰10,000/-(दस हजार मात्र), भूमि 0.0760 हेक्टेयर(3310 वर्गफुट) , कक्ष 1, 14×20, कक्ष 5 13×13, हाल 3 लिंटर(18×18), 05 टीन सेड (16×15), क्रीडा प्रांगण 60×70, पुस्तकालय कक्ष 3 उपलब्ध है। महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 18-03-2020 को प्रो॰ पी॰एन॰सिंह, प्रो॰ शम्भूनाथ शुक्ल एवं डॉ॰ अबिमुक्तनाथ पाण्डेय का निरीक्षक मण्डल गठित किया गया। जिसका पत्र दिनांक 12-06-2020 को निरीक्षण मण्डल का गठन हेतु प्रेषित किया गया। निरीक्षण मण्डल द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि महाविद्यालय के भूमि 0.0760 हेक्टेयर(3310 वर्गफुट) , कक्ष 1, 14×20, कक्ष 5 13×13, हाल 3 लिंटर(18×18), 05 टीन सेड (16×15), क्रीडा प्रांगण 60×70, पुस्तकालय कक्ष 3 उपलब्ध है। निरीक्षण मण्डल द्वारा पाया गया कि उल्लेखनीय है कि निरीक्षण मण्डल को निर्धारित मानक उपलब्ध नही कराया गया था ऐसी स्थिति में मानकानुसार परीक्षण सम्भव नही हो सकता। उपलब्ध एवं आवेदन पत्र/प्रस्तुत प्रोफार्मा में प्रबन्धक/प्राचार्य द्वारा प्रमाणित विवरण के आधार पर मानक पूर्ण होने कीह स्थिति में मान्यता प्रदान करने सम्बन्धित कार्यवाही करना चाहें। उक्त के परिप्रेक्ष्य में यह समिति संस्तुति करती है कि आख्या के साथ अगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

3- श्री शिव शान्ती संस्कृत महाविद्यालय, कादीपुर खुर्द, चौबेपुर, वाराणसी।

प्रबन्धक, श्री शिव शान्ती संस्कृत महाविद्यालय, कादीपुर खुर्द, चौबेपुर, वाराणसी द्वारा दिनांक 12-10-2017 को विश्वविद्यालय में आचार्य स्तर पर साहित्य, व्याकरण की सम्बद्धता/मान्यता हेतु आवेदन किया गया। जिस पर उप शिक्षा निदेशक(संस्कृत) की संस्तुति पत्र दिनांक 12-09-2016 के आधार पर आचार्य पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुसंशा की। आवेदन पत्र के साथ संलग्न पत्राजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शुल्क रू॰15,000/-(पन्द्रह हजार मात्र) भूमि 22 बिश्वा, कक्ष 09, 20×25, 03 हाल 25×30 एवं क्रीडा प्रांगण एवं पुस्तकालय उपलब्ध है। महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 13-02-

2020 को प्रो॰ आशुतोष मिश्र, प्रो॰ शैलेश मिश्र एवं डॉ॰ प्यारेलाल पाण्डेय का निरीक्षक मण्डल गठित किया गया। जिसका पत्र दिनांक 28-02-2020 को निरीक्षण मण्डल का गठन हेतु प्रेषित किया गया। निरीक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 04-03-2020 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि महाविद्यालय के भूमि 22 बिश्वा, कक्ष 09, 20×25, 03 हाल 25×30 एवं क्रीडा प्रांगण एवं पुस्तकालय उपलब्ध है। निरीक्षण मण्डल द्वारा साहित्य, व्याकरण विषय की संस्तुति किया गया है। सम्बद्धता/मान्यता की अन्य शर्ते मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति विचार विमर्श के अनन्तर महाविद्यालय को **आचार्य साहित्य एवं व्याकरण** विषय की सम्बद्धता/मान्यता की संस्तुति प्रदान करती है।

विचार-विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मत्ति से सम्बद्धता/मान्यता समिति की बैठक दिनांक 22.02.2021 में की गयी संस्तुतियों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

3- पं.श्री शम्भुनाथ मिश्र स्मृति व्याख्यान माला प्रारम्भ करने पर विचार।

कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के पूर्व प्रतिकुलपति प्रो॰ हेतराम कछवाह ने अपने प्रत्यावेदन के माध्यम से अनुरोध किया है कि वे सामाजिक विज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष स्व॰ पं॰ शम्भुनाथ मिश्र स्मृति व्याख्यान माला प्रारम्भ करने के लिए रू॰ 1,00,000/- (रू॰ एक लाख) विश्वविद्यालय कोष में जमा कराना चाहते है, और उसके ब्याज से प्रतिवर्ष सामाजिक विज्ञान विभाग के तत्वावधान में पं॰ श्री शम्भुनाथ मिश्र की जन्मतिथि अथवा कुलपति द्वारा निर्धारित तिथि पर प्रो॰ हेतराम कछवाह द्वारा किये गये अनुरोध के सातत्य में कार्यपरिषद् के समक्ष ''प॰श्री शम्भुनाथ मिश्र स्मृति व्याख्यान माला'' अध्यादेश-2021 का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है-

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

अध्यादेश-2021

पं॰ श्री शम्भुनाथ मिश्र स्मृति व्याख्यान माला

1- इस व्याख्यान माला का नाम पं॰ श्री शम्भुनाथ मिश्र स्मृति व्याख्यान माला होगा।

2- स्व॰ पं॰ शम्भुनाथ मिश्र, पूर्व विभागाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान विभाग, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, व ाराणसी, के शिष्य प्रो॰ हेतराम कछवाह, पूर्व प्रतिकुलपति द्वारा प्रदत्त रू॰ 1,00,000/-(एक लाख) सहयोग की राशि को उपयुक्त सावधि खाते में जमा किया जायेंगा और उससे प्रति वर्ष प्राप्त होने वाली ब्याज की धनराशि से सामाजिक विज्ञान विभाग के तत्त्वाधान में प्रतिवर्ष एक व्याख्यान आयोजित किया जायेगा।

3- व्याख्यान हेतु सामाजिक विज्ञान से सम्बन्धित एक ऐसे विद्वान को आंमत्रित किया जाएगा, जिनका प्राच्य विद्या एवं सामाजिक विज्ञान के उन्नयन, संवर्धन एवं विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया हो।

4- व्याख्यान करने वाले विद्वान को प्राप्त धनराशि के ब्याज के सापेक्ष सम्मान राशि एवं अंगवस्त्रादि से सम्मान किया जाएगा।

5- यह व्याख्यान माला प्रतिवर्ष स्व॰ पं॰शम्भुनाथ मिश्र के जन्म दिवस अथवा कुलपति द्वारा निर्धारित किसी तिथि को किया जाएगा। किन्तु यदि किसी कारण से किसी वर्ष व्याख्यान माला आयोजित करना सम्भव न हो तो दूसरे वर्ष विशेष स्थिति में दो व्याख्यान आयोजित किया जाएगा।

विचार-विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से पं॰ शम्भुनाथ मिश्र स्मृति व्याख्यान माला अध्यादेश-2021 पर अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान की।

4- शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013/2(650)/2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 के आलोक में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्ववित्तपोषित संस्कृत महाविद्यालयों में प्राचार्य/शिक्षको का अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने के संबंध में विचार-

कार्यपरिषद् को कुलसचिव महोदय ने अवगत कराया कि शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013/2(650)/2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 के माध्यम से निम्नाकित आदेश प्रदान किये है-

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्रत्येक विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि महाविद्यालय को किसी भी पाठ्यक्रम में सम्बद्धता दिये जाने एवं शिक्षण कार्य

प्रारम्भ किये जाने के पूर्व संस्था में विश्वविद्यालय से यू.जी.सी. अर्हताधारी योग्य शिक्षकों की नियुक्ति

नही की गई है तो विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी संस्थाओं/महाविद्यालयों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अतः माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए सम्बद्धता हेतु निर्धारित समस्त मानकों की पूर्ति होने के उपरान्त ही आगामी शैक्षणिक सत्र से यथोचित संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय परिसर में संचालित स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों में यू.जी.सी. योग्यता धारक शिक्षकों का चयन, चयन-समिति के माध्यम से कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त किया जाना उचित होगा। साथ ही सम्बद्ध स्ववित्तपोषित संस्कृत महाविद्यालयों या नये खुलने वाले स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में जब तक यू.जी.सी. योग्यताधारी शिक्षकों की व्यवस्था नही होती तब तक प्राचार्य एवं शिक्षकों की अर्हता विषयक अध्यादेश के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार गठित चयन समिति के माध्यम से चयनित व अनुमोदित शिक्षकों को प्रत्येक दशा में शिक्षण कार्य प्रारम्भ से पूर्व ही योजित किया जाना उचित होगा। उक्त श्रेणी के पूर्व से संचालित स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों में शिक्षक चयन हेतु आदेशित किया जा सकता है तथा नवीन स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में शिक्षक नियोजन की शर्त पर सम्बद्धता प्रदान करना उचित होगा-

कार्यपरिषद् ने उपरोक्त सन्दर्भो से अवगत होकर विचार-विमर्श के अनन्तर निर्णय लिया कि सम्बन्धित शासनादेश की प्रति सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध करायी जाये तथा शासनादेश के अध्ययनोपरान्त उपरोक्त विषय पर निर्णय कार्यपरिषद् की अगली बैठक निर्णयार्थ पुनः प्रस्तुत किया जायें।

अंत में प्रो. हरिप्रसाद अधिकारी द्वारा भरत वाक्य प्रस्तुत करने के पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभा विसर्जन करने की घोषणा की।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

कुलसचिवजी [illegible]
कृपया अनुमोदनार्थ
[illegible]
13.3.21